**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. 86**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

 **रेलवे टिकटों से अर्जित लाभ**

**\*86. श्री नरेश अग्रवाल:**

 **क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या यह सच है कि रेल टिकटों से रेलवे को भारी आमदनी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऑनलाइन आरक्षण प्रभार, ऑनलाइन प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट की स्थिति में स्‍वत: रद्दकरण व स्‍वचालित रद्दकरण पर प्रभार, बीमा के नाम पर प्रभार के अतिरिक्‍त कई अन्‍य प्रभारों से सरकार को वार्षिक रूप से कितनी आमदनी हो रही है?

**उत्‍तर**

**रेल और कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

रेलवे टिकटों से अर्जित लाभ के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्‍य सभा में श्री नरेश अग्रवाल द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं.86 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेलों पर पिछले तीन वर्षों की यात्री आमदनी निम्‍नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | यात्री आमदनी |
| 2014-15 | 42189.61 |
| 2015-16 | 44283.26 |
| 2016-17 | 46280.46 |

बहरहाल, चालित यात्री सेवाओं की लागतें अत्‍यधिक हैं और रेलवे यात्री सेवाओं पर हानि वहन कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचिंग सेवाओं और प्रमुख रूप से यात्री सेवाओं पर अनुमानित हानि का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | मद | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
| 1 | कोचिंग सेवाओं पर हानि- |  |  |  |
| (i) | उपनगरीय सेवाएं | 4132.46 | 4755.62 | 5200.28 |
| (ii) | अनुपनगरीय सेवाएं | 27934.66 | 28735.33 | 30718.11 |
| (iii) | कुल 2(i) + 2(ii) | 32067.12 | 33490.95 | 35918.39 |

(ग): टिकटों के रद्दकरण के प्रभारों में दो लेनदेन की लागत वसूल करनी होती है अर्थात् पहली बुकिंग और दूसरी रद्दकरण। ऑनलाइन आरक्षण प्रभार, स्‍वयं रद्दकरण प्रभार, ऑनलाइन वेटिंग टिकटों के मामले में स्‍वत: रद्दकरण प्रभार, बीमा प्रभार को आमदनी में अलग से हिसाब में नहीं लिया जाता। बहरहाल, वित्‍त वर्ष 2016-17 के दौरान और अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 की अवधि के दौरान ऑनलाइन बुक की गई और रद्द कराई गई टिकटों पर वसूल किए गए आरक्षण, रद्दकरण, लिपिकीय प्रभार और अन्‍य प्रभार निम्‍नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वित्‍त वर्ष | आरक्षण प्रभार | रद्दकरण प्रभार | लिपिकीय प्रभार\*\* | सुपरफास्‍ट प्रभार | अन्‍य प्रभार\* |
| 2016-17 | 1049.79 | 738.11 | 210.84 | 761.88 | 2180.97 |
| 2017-18 (नवंबर 2017 तक) | 787.92 | 522.63 | 168.76 | 576.27 | 1892.88 |

\* इनमें तत्‍काल/प्रीमियम तत्‍काल प्रभार, फ्लेक्‍सी–किराया प्रभार आदि शामिल हैं।

\*\* लिपिकीय प्रभार से तात्‍पर्य किराया वापसी में करने में लिपिकीय कार्य हेतु रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रभार से है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्‍़म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए 0.92 रुपए प्रति यात्री के प्रीमियम पर 01.09.2016 से एक वर्ष के लिए पायलट आधार पर एक ऐच्‍छिक यात्रा बीमा योजना शुरू की गई है और यह योजना केवल कन्‍फर्म्‍ड/आरएसी रेल यात्रियों के लिए ही उपलब्‍ध थी। उक्‍त योजना को अगले एक वर्ष अर्थात 31.08.2018 तक बढ़ा दिया गया है। बहरहाल, 10.12.2016 से आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकटें खरीदने वाले सभी कन्‍फर्म्‍ड/आरएसी यात्रियों को निशुल्‍क बीमा मुहैया कराया गया है और इसके लिए यात्रियों से कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाता है। ऐच्‍छिक यात्रा बीमा योजना के लिए यात्रियों से 01.09.2016 से 09.12.2016 तक 2,56,34,826.50 रुपए प्रीमियम के रूप में वसूल किए गए हैं।

\*\*\*\*